



न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-02/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) फर्रुखाबाद।

पीठासीन:- तरुण कुमार सिंह प्रथम.....एच०जे०एस० UP6264

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- 1102/2026

प्रमोद कुमार बनाम नवाब सिंह आदि

धारा - 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना - मोहम्मदाबाद

जनपद - फर्रुखाबाद

दिनांक: 04.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। बार-बार पुकार पर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पूर्व की तिथियों पर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था,, परन्तु फिर भी आज आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

सम्बन्धित थाने से आख्या प्राप्त हो चुकी है, जिसमें यह अंकित है कि आवेदक द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आवेदक की कोई भी रुचि इस आवेदन पत्र पर बल देने में नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में दाण्डिक प्रकीर्णवाद अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० को आवेदक की अनुपस्थिति में **निरस्त** किया जाता है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार संचयति हो।

(तरुण कुमार सिंह- I)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)

फर्रुखाबाद